फा.सं. 1/7/2017-स्था.(वेतन-I)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 24 जुलाई, 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय : **7वें केंद्रीय वेतन आयोग के लागू होने की स्थिति में आशुलिपि में 100/120 शब्द प्रति मिनट पर गति परीक्षा पास करने पर अधीनस्थ कार्यालयों के आशुलिपिकों को दी जाने वाली अग्रिम वेतन वृद्धि के संबंध में।**

दिनांक 04.10.1975 के व्यय विभाग के का.ज्ञा. सं. 7(31)ई-III(क)/75 और इस विभाग के दिनांक 14.08.1989 के का.ज्ञा. सं. 18/44/88-स्था.(वेतन-I) और दिनांक 30.01.2001 के का.ज्ञा.सं 1/9/98-स्था(वेतन-I) में किए गए प्रावधानों के अनुसार, अधीनस्थ कार्यालयों के आशुलिपिकों को आशुलिपि में 100/120 शब्द प्रति मिनट पर गति परीक्षा पास करने पर एक या दो अग्रिम वेतन वृद्धि दी जाती थी। इस विभाग के दिनांक 07.12.2009 के का.ज्ञा. सं. 18/44/88-स्था(वेतन-I) में यह प्रावधान किया गया था कि इन अग्रिम वेतन वृद्धियों को सभी उद्देश्यों के लिए वेतन के रूप में माना जाए। इसके अलावा, सीसीएस (आरपी) नियमावली, 2008 के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, ग्रेड वेतन और वेतन बैंड प्रणाली लागू किए जाने के कारण, इस विभाग के दिनांक 06.12.2012 के का.ज्ञा. सं. 1/1/2010-स्था.(वेतन-I) के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया था कि किस प्रकार से इन अग्रिम वेतन वृद्धि (वृद्धियों) की गणना की जाए।

2. सीसीएस (आरपी) नियमावली, 2016 के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन की प्रणाली को वेतन मैट्रिक्स से बदला गया है। व्यय विभाग के परामर्श से, इस विभाग में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के लागू होने की स्थिति में 100/120 शब्द प्रति मिनट पर आशुलिपि में गति परीक्षा पास करने वाले अधीनस्थ कार्यालयों के आशुलिपिकों को दी जाने वाली अग्रिम वेतन वृद्धि (वृद्धियों) की गणना के तरीके और ये अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किए जाने संबंधी दिशा-निर्देशों पर विचार किया गया है।

3. राष्ट्रपति 100/120 शब्द प्रति मिनट पर आशुलिपि में गति परीक्षा पास करने पर अधीनस्थ कार्यालयों के आशुलिपिकों को दी जाने वाली अग्रिम वेतन वृद्धि (वृद्धियों) के विषय पर यह निर्णय लेते हैं कि मौजूदा सभी आदेशों/कार्यालय ज्ञापनों/अनुदेशों/दिशा-निर्देशों के अधिक्रमण में, 01.01.2016 से अग्रिम वेतन वृद्धियां इस प्रकार से विनियमित की जाएंगी:

(i) वह आशुलिपिक जिन्हें आशुलिपि परीक्षा में 80 शब्द प्रति मिनट पर गति परीक्षा के आधार पर भर्ती किया गया था उन्हें सेवा में रहते हुए आशुलिपि परीक्षा में 100 शब्द प्रति मिनट की गति परीक्षा को पास करने पर एक अग्रिम वेतन वृद्धि और आशुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट की गति परीक्षा पास करने पर एक और अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान की जा सकती है। तथापि, अगर एक आशुलिपिक जिसकी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की गति परीक्षा के आधार पर भर्ती की गई है अगर वह सेवा में रहते हुए सीधे ही आशुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट की गति परीक्षा को पास कर लेता है तो उन्हें दो अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान की जा सकती हैं।

(ii) वह आशुलिपिक, जिसकी भर्ती आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट की गति परीक्षा के आधार पर की गई थी, उन्हें सेवा में रहते हुए आशुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट की गति परीक्षा को पास करने पर एक अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान की जा सकती है।

(iii) ये गति परीक्षाएं विभागीय प्राधिकारियों सहित उचित रूप से गठित प्राधिकारियों द्वारा आयोजित की जाएगी।

(iv) ये अग्रिम वेतन वृद्धियां परीक्षा पास करने की तिथि से प्रदान की जाएंगी।

(v) इन अग्रिम वेतन वृद्धियों का भावी वेतन वृद्धि में आमेलन नहीं किया जाएगा और यह अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान किए जाने के पश्चात अगली वेतन वृद्धि की तिथि वही रहेगी। इन अग्रिम वेतन वृद्धियों के कारण वेतन नियतन करने हेतु अगले वेतन वृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होगा/इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।

(vi) मूल वेतन के अतिरिक्त, इन अग्रिम वेतन वृद्धियों की राशि को अलग घटक के रूप में रखा जाएगा और उसे सभी उद्देश्यों के लिए वेतन के रूप में गिना जाएगा। इसके अलावा, पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के उद्देश्य से अथवा एमएसीपी प्रदान किए जाने पर उच्चतर मान (स्केल) में रखे जाने और वेतनमान अथवा वेतन संरचना आदि में संशोधन किए जाने के कारण अगर इन अग्रिम वेतन वृद्धियों पर विचार किया जाता है तो इन अग्रिम वेतन वृद्धियों को अब एक अलग घटक के रूप में नहीं माना जाएगा।

(vii) उन आशुलिपिकों के संबंध में, जो कि सीसीएस (आरपी) नियमावली, 2016 के कार्यान्वयन के पश्चात यह अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किए जाने हेतु योग्य हो जाते हैं, उन्हें जैसा कि नीचे दिया गया है उर्ध्वाधर स्तर पर जिसमें सरकारी कर्मचारी को परीक्षा पास करने की तिथि से रखा गया है, एक/दो अग्रिम वेतन वृद्धियां (जैसा भी मामला हो) प्रदान की जा सकती है:

(क) दो अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान करने के लिए:

1.	अगली वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान किए जाने की तिथि: 01.07.2017
2.	प्रवीणता आशुलिपिक परीक्षा पास करने की तिथि: 25.07.2017
3.	प्रवीणता परीक्षा पास करने की तिथि पर वेतन मैट्रिक्स में मूल वेतन: 30100 (स्तर-5)
4.	दो अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान किए जाने पर वेतन मैट्रिक्स में मूल्य: 31900 (स्तर-5)
5.	अलग घटक : 31900-30100=1800/-
6.	25.04.2017 को मूल वेतन=30100+1800 (अलग घटक); अगली वेतन वृद्धि की तिथि वही रहेगी यथा 01.07.2017
7.	01.07.2017 (अगली वेतन वृद्धि की तिथि) को मूल वेतन 31000+1800 (अलग घटक)

ग्रेड वेतन	**2400**	**2800**
स्तर	**4**	**5**
1	25500	29200
2	26300	**30100**
3	27100	**31000**
4	27900	**31900**
5	28700	32900
6	29600	33900
7	30500	34900
8	31400	35900
9	32300	37000
10	33300	38100

(ख) एक अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान करने के लिए:

1.	अगली वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान किए जाने की नियत तिथि: 01.01.2018
2.	प्रवीणता आशुलिपिक परीक्षा पास करने की तिथि: 10.09.2017
3.	प्रवीणता परीक्षा पास करने की तिथि पर वेतन मैट्रिक्स में मूल वेतन: 34900 (स्तर-5)
4.	एक अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किए जाने पर वेतन मैट्रिक्स में मूल्य: 35900 (स्तर-5)

ग्रेड वेतन	**2400**	**2800**
स्तर	**4**	**5**
1	25500	29200
2	26300	30100
3	27100	31000
4	27900	31900

5.	अलग घटक : 35900-34900=1000/-		5	28700	32900
6.	10.09.2017 को मूल वेतन=34900+1000 (अलग घटक); अगली वेतन वृद्धि की तिथि वही रहेगी यथा 01.01.2018		6	29600	33900
7.	01.01.2018 (अगली वेतन वृद्धि की तिथि) को मूल वेतन 35900+1000 (अलग घटक)		7	30500	**34900**
			8	31400	**35900**
			9	32300	37000
			10	33300	38100

(viii) इन अग्रिम वेतन वृद्धियों के लाभ को वरिष्ठों के वेतन वर्धन (stepping up of pay) के उद्देश्य हेतु एक अनियमितता के तौर पर नहीं माना जाएगा।

4. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों पर इसके लागू होने का संबंध है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 148 (5) के तहत अधिदेशित किया गया है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

5. इस कार्यालय ज्ञापन के हिंदी व अंग्रेज़ी रूप के किसी प्रावधान में विरोधाभास की परिस्थिति में अंग्रेज़ी रूप में वर्णित प्रावधान ही मान्य होंगे।

(राजीव बाहरी)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक।
2. भारत के उच्चतम न्यायालय के महासचिव।
3. महालेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय।
4. संघ लोक सेवा आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केंद्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/नीति आयोग।
5. सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें।
6. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (एआईएस अनुभाग)/जेसीए/प्रशा. अनुभाग।
7. सचिव, राष्ट्रीय परिषद जेसीएम (कर्मचारी पक्ष), 13 सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
8. राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य/विभागीय परिषद।
9. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग/पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग/पीईएसबी के सभी अधिकारी/अनुभाग।
10. संयुक्त सचिव (कार्मिक), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय।
11. अपर सचिव (संघ राज्य क्षेत्र), गृह मंत्रालय।

(राजीव बाहरी)
अवर सचिव, भारत सरकार